



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 / 2776575

“धान (किस्म PV 1718), गेहूं (किस्म GW 322)
एवं मक्का (किस्म CP 999) के विक्रय हेतु”

ई-निविदा प्रपत्र 2025
(21.04.2025)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि, पंचानन भवन,
तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

क./मुख्या/बाबई/25/

दिनांक 21.04.2025

**“धान (किस्म पी.वी 1718) गेहूं (किस्म GW 322)
एवं मक्का (किस्म सी.पी. 999)” के विक्रय हेतु ई-निविदा सूचना**

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिला होशंगाबाद में उपलब्ध धान किस्म PV 1718 मात्रा 1028.36 क्विंटल, गेहूं किस्म GW 322 मात्रा 1366.20 क्विंटल एवं मक्का किस्म CP 999 मात्रा 58 क्विंटल के विक्रय हेतु ई-निविदा दिनांक 16.05.2025 तक आमंत्रित की जाती है। www.mptenders.gov.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं उसके माध्यम से ऑनलाईन निविदा में भाग लिया जा सकता है। निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

निविदान्तर्गत समस्त शुद्धि पत्र की सूचना मात्र WWW.mpagro.org वेबसाइट पर ही दी जायेगी।

प्रबंधक (बाबई)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि, पंचानन भवन,
तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

ई-निविदा प्रपत्र में 09 पृष्ठ है, अनुक्रमणिका निम्नानुसार है :-

क्र.	मुख्य शीर्षक	संदर्भ	पृष्ठ क्र.
1	धान, गेहूं एवं मक्का के विक्रय हेतु ई-निविदा सूचना	---	02
2	ऑनलाईन ई-निविदा क्रय, जमा एवं खोले जाने की दिनांक एवं समय	प्रपत्र क्रमांक 1	04
3	आवश्यक दस्तावेज की सूची	---	04
4	निविदाकर्ता का संक्षिप्त परिचय	प्रपत्र क्रमांक 2	05
5	धान के विक्रय हेतु ई-निविदा की सामान्य शर्तें	प्रपत्र क्रमांक 3	6-8
6	संकल्प धनराशि	कंडिका क्र 4	6
7	ई-निविदा में ऑनलाईन दर प्रपत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र.-4	9



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि, पंचानन भवन,
तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र क.-1

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र मूल्य, क़य, जमा, तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के खोले जाने संबंधित दिनांक एवं समय का विवरण :-

क्र.	विवरण ब्यौरा	राशि/दिनांक/समय
1.	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु.5900.00 (आनलाईन भुगतान, समस्त कर सहित)
2.	ई-निविदा प्रपत्र क़य एवं जमा करने की आरंभिक निर्धारित दिनांक एवं समय	दिनांक 21.04.2025 पूर्वान्ह 10.30 बजे से
3.	ई-निविदा प्रपत्र क़य करने की निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 16.05.2025 अपरान्ह 1.00 बजे तक
4.	ई-निविदा प्रपत्र (मय तकनीकी एवं वित्तीय बिड) जमा करने की निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 16.05.2025 अपरान्ह 3.30 बजे तक
5.	ई-निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड) खोले जाने की निर्धारित दिनांक एवं समय	दिनांक 16.05.2025 अपरान्ह 5.00 बजे तक
6.	तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्ताओं के वित्तीय बिड खोले जाने की निर्धारित दिनांक एवं समय	तकनीकी बिड पर अंतिम रूप किये जाने के पश्चात वित्तीय बिड खोली जायेगी। वित्तीय बिड खोले जाने के दिनांक एवं समय की सूचना वेबसाइट www.mptenders.gov.in एवं www.mpagro.org पर प्रदर्शित की जायेगी।

निविदाकर्ता के आवश्यक दस्तावेज

क्र.	विवरण	प्रति ऑनलाईन अपलोड
1	निजी व्यवसायी द्वारा ई-निविदा में भाग लेने हेतु	आधार कार्ड /वोटर आई-डी./पेनकार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति
2	फर्म/कम्पनी की ओर से ई-निविदा में भाग लेने हेतु	1. फर्म/कम्पनी का वैद्य गुमाश्ता, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र कम्पनी निर्गमन की स्व-प्रमाणित प्रति। 2. ई-निविदा प्रस्तुत करने के अधिकार संबंधी प्रोप्राइटर के निर्णय की प्रति।
3	प्राइवेट लिमिटेड फर्म /कम्पनी की ओर से ई-निविदा में भाग लेने हेतु	1.फर्म/कम्पनी का मेमोरेण्डम आफ आर्टीकल, जी.एस. टी. प्रमाण-पत्रकी स्व-प्रमाणित प्रति। 2. ई-निविदा प्रस्तुत करने के अधिकार संबंधी संचालक मंडल के निर्णय की प्रति।

प्रबंधक (बाबई)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि, पंचानन भवन,
तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र क.-2

निविदाकर्ता की संक्षिप्त परिचय

1	निविदाकर्ता का नाम/ कंपनी/ फर्म	
2	निविदाकर्ता का सम्पूर्ण पता	
3	ई-निविदा में हस्ताक्षर करने वाले का नाम एवं पद	
4	निविदाकर्ता का मोबाईल नम्बर	मोबाईल नम्बर :..... मोबाईल नम्बर:.....
5	निविदाकर्ता का मण्डी लाईसेंस क्रमांक	
6	निविदाकर्ता का पेन नम्बर	नम्बर..... जारी दिनांक.....
7	निविदाकर्ता का जीएसटी नम्बर	नम्बर..... जारी दिनांक.....
8	निविदाकर्ता का आधार नम्बर	
9	निविदाकर्ता का टिन नम्बर	नम्बर.:..... जारी दिनांक.....
10	निविदाकर्ता का बैंक खाता क्र	
	बैंक का नाम एवं पता.	
11	संकल्प धनराशि	
		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि, पंचानन भवन,
तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाषः मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र क्र.-3

धान (किस्म PV 1718) गेहूं (किस्म GW 322)

एवं मक्का (किस्म CP 999) के विक्रय हेतु ई-निविदा की सामान्य शर्तें

1. ई-निविदा सूचना एवं ई-निविदा में प्रदर्शित खाद्यान्न निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई, जिला नर्मदापुरम में भण्डारण किया गया है।
2. विक्रय की जाने वाली धान, गेहूं एवं मक्का का नमूना निगम के कृषि प्रक्षेत्र बाबई (मंगलवार अवकाश को छोड़कर) अथवा मुख्यालय भोपाल में निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक तक देखे जा सकते हैं।
3. ई-निविदा में उल्लेखित धान, गेहूं एवं मक्का पृष्ठ क्र. 07 के अनुसार सम्पूर्ण विक्रय के लिये दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. **संकल्प धनराशि :-**
 - 4.1 संकल्प धनराशि धान के लिए रु. 3.00 लाख, गेहूं के लिए रु. 3.00 लाख एवं मक्का के लिए रु. 50.000/- (रुपये पचास हजार मात्र) निर्धारित है।
 - 4.2 संकल्प धनराशि ऑनलाईन जमा की जाना अनिवार्य है।
 - 4.3 बिना संकल्प धनराशि के कोई भी ई-निविदा ऑनलाईन जमा नहीं हो सकेगी।
5. **ई निविदा को प्रस्तुत किये जाने हेतु :-**
 - 5.1 पृष्ठ क्रमांक 4 पर उल्लेखित समय सीमा में ई-निविदा प्रपत्र का क्रय करना, उसे जमा करना एवं खोलने का रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित दिनांक को शासकीय अवकाश घोषित होता है तो उसे आगामी कार्य दिवस में समान समय पर कार्यवाही की जावेगी।
 - 5.2 निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा में भाग लेने हेतु ई-निविदा प्रपत्र हेतु राशि रु. 5,900/- (जी.एस.टी सहित) ऑनलाईन जमा करेंगे।
 - 5.3 निविदाकर्ता ई-निविदा के सभी पृष्ठ एवं निविदाकर्ता के आवश्यक दस्तावेज (न्यूनतम आर्हता)के समस्त दस्तावेज पर स्वयं के हस्ताक्षर, नाम एवं सील अंकित करेंगे एवं स्पष्ट स्केन्ड कॉपी को ई-निविदा में अपलोड करेंगे। अपलोड किये गये दस्तावेज के अनुसार निविदाकर्ता का मूल्यांकन किया जाएगा, अतः सभी दस्तावेज को सु-स्पष्ट एवं पठनीय स्थिति में अपलोड करना सुनिश्चित करें। दस्तावेज अपठनीय स्थिति में होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
 - 5.4 वित्तीय बिड को मात्र ऑनलाईन भरा जाना होगा, वित्तीय बिड की हार्डकापी लिफाफे में प्रस्तुत नहीं की जावेगी।
 - 5.5 निविदाकर्ता ई-निविदा दरें (प्रपत्र क्र.-4, पृष्ठ क्रमांक 9 अनुसार) मात्र ऑनलाईन भरी जायेगी।

6. ई-निविदा को खोला जाना एवं स्वीकार करना :-

- 6.1 ई-निविदा दिनांक 16.05.2025 को अपरान्ह 3.30 बजे तक ऑनलाईन जमा की जायेगी । प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16.05.2025 अपरान्ह 5.00 बजे मुख्यालय कम्प्यूटर कक्ष द्वारा खोली जायेगी। निर्धारित दिनांक को शासकीय अवकाश घोषित करने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस को खोला जाएगा।
- 6.2 ई-निविदा के तकनीकी बिड में प्राप्त समस्त तकनीकी आर्हताओं की पूर्ति करने वाले निविदाकार की ऑनलाईन वित्तीय बिड निगम द्वारा तकनीकी बिड पर अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात खोली जायेगी। वित्तीय बिड खोले जाने के दिनांक एवं समय की सूचना तकनीकी बिड पर अंतिम रूप किये जाने के पश्चात www.mptenders.gov.in एवं www.mpagro.org पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 6.3 यदि निगम आवश्यक समझेगा, तो निविदाकारों से दरों पर चर्चा (Negotiation) कर सकेगा। दर चर्चा सर्वप्रथम अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से की जाएगी असहमति होने की दशा में यह दर चर्चा द्वितीय, तृतीय एवं आगे के अधिकतम दर देने वाले निविदाकर्ताओं से की जायेगी। निगम के प्रबंध संचालक को निगम के पक्ष में अधिकतम राशि प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रक्रिया के निर्धारण का अधिकार होगा। कम राशि देने वाले निविदाकार को इस संबंध में आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा।
7. विक्रय की जाने वाली खाद्यान्न पर लगने वाले सभी प्रकार के टैक्स, एवं कृषि उपज मंडी बाबई के अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने, चुंगी इत्यादि के लिए इच्छुक क्रेता पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे। निगम को दी गई दर में उपरोक्त सभी राशियां सम्मिलित नहीं मानी जाएगी।
8. किसी भी दर प्रस्ताव को पूर्णतः/आंशिक रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा।
9. विक्रय किये जाने वाले धान, गेहूं एवं मक्का “जहां है जैसी है” के आधार पर प्रदाय किया जायेगा। क्रेता को सामग्री का पूर्ण स्कन्ध, प्रक्षेत्र से अपने स्वयं के व्यय पर स्वयं उठाना होगा।
10. दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि आफरकर्ता द्वारा विक्रय की जाने वाली धान एवं मक्का के नमूनों को देख लिया है तथा निगम द्वारा निर्धारित शर्तों से सहमत होकर दर प्रस्तुत किया है।
11. निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुशंसाये निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जायेगी। सामान्यतः प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जायेगी। अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे धान, गेहूं एवं मक्का का क्रय हेतु अपनी अधिकतम दर दें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुशंसित दर का प्रति प्रस्ताव अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को दें अथवा सभी वैद्य निविदाकर्ताओं को पुनः निर्धारित तिथि एवं समय तक बंद लिफाफे में दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें (यह प्रक्रिया स्नेप बिडिंग कहलायी जायेगी)।
12. दर स्वीकृति की जानकारी/प्रति प्रस्तावित दर (यदि निगम द्वारा आवश्यक समझा जायेगा) निविदाकर्ता को लिखित में मुख्यालय/ प्रभारी, कृषि प्रक्षेत्र, बाबई द्वारा दी जाएगी। “दर स्वीकृति पत्र” के जारी दिनांक से 07 दिवस के अंदर, अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा दी गई दर के आधार पर कुल सामग्री की देय राशि का 10 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो एम.पी.स्टेट एग्री इन्ड. डेव्ह.कार्पो. लि., बाबई नाम से देय होगा अथवा आर.टी.जी.एस. हेतु पंजाब नेशनल बैंक के खाता क्र. 6937001800000017, IFSC - PUNB0693700 में जमा कराना होगा। नगद जमा हेतु प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई से लिखित अनुमति प्राप्त कर जमा कराना होगा। स्वीकृति पत्र के अनुसार पूर्ण स्कन्ध की राशि प्राप्त होने के पश्चात ही प्रक्षेत्र प्रभारी, आदेशित सामग्री को उठाने की अनुमति दी जाएगी।
13. निविदा में धान की कुल मात्रा 1028.36 क्विंटल, गेहूं की कुल मात्रा 1366.20 क्विंटल एवं मक्का की कुल मात्रा 58 क्विंटल है। उल्लेखित मात्रा अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन संभव है तथा निविदाकार को सामग्री का पूर्ण स्कन्ध क्रय करना बंधनकारी होगा।

14. उपलब्ध खाद्यान्न के अंतिम लाट को प्राप्त करते समय जमा की गई 10 प्रतिशत राशि एवं संकल्प धनराशि को खाद्यान्न के मूल्य से समायोजित किया जा सकेगा।
15. यदि अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा निगम की लिखित सूचना पत्र के दिनांक से 07 दिवस के अंदर सामग्री मूल्य की 10 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई जाती है तो ऐसे अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा जमा संकल्प धनराशि को निगम द्वारा जप्त कर, उनके द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकेगा।
16. अनुमोदित निविदाकर्ता जिनका दर प्रस्ताव मान्य कर लिया गया है तथा जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत राशि जमा कर दी है, उन्हें उस दिनांक से 21 दिवस में पूर्ण राशि जमा कर सम्पूर्ण खाद्यान्न आवश्यक रूप से उठाना होगा। अनुमोदित निविदाकर्ता जिस दिन जितना स्कन्ध उठावेंगे, उसकी पूर्ण राशि निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी के पास जमा कर सकेगा एवं राशि प्राप्त होने के पश्चात ही निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई सामग्री उठाने की अनुमति देंगे।
17. यदि नियत दिनांक तक अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा सम्पूर्ण आदेशित खाद्यान्न नहीं उठाया जाता है तो ऐसी दशा में निगम को अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर प्रक्रिया का निर्धारण कर शेष सामग्री को विक्रय कर दें। यदि इस प्रक्रिया में निगम को किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो उसका उत्तरदायित्व अनुमोदित निविदाकार का होगा एवं निगम को हुई हानि की वसूली अनुमोदित निविदाकार से वसूली की जा सकेगी, जिस पर निविदाकार को आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा। सामग्री निर्धारित समयावधि में नहीं उठाया जाता है तो सामग्री में किसी प्रकार की हानि के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
18. विक्रय हेतु निर्धारित शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। दर स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा राशि को जमा करने की अवधि में यदि कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है, एवं निगम के प्रबंध संचालक द्वारा उक्त स्थिति के मान्य किये जाने पर ही समय सीमा में परिवर्तन किया जा सकेगा। अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा राशि जमा करने की अवधि में परिवर्तन निगम के प्रबंध संचालक के लिये बंधनकारी नहीं होगा, निगम के प्रबंध संचालक द्वारा इस संबंध में लिये गये निर्णय के कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
19. बारदाना बदलना, परिवहन, ट्रक पर चढाई इत्यादि के समस्त व्यय अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जाएंगे। विक्रय की जाने वाली सामग्री की तुलाई निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी बाबई या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अनुमोदित निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष करवाई की जाएगी। तुलाई का समस्त व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। निगम द्वारा कोई बारदाना प्रदाय नहीं किया जाएगा।
20. जिस फर्म/व्यक्ति द्वारा दिया गया दर प्रस्ताव मान्य किया गया है, उसी के नाम से निगम द्वारा देयक जारी किये जाएंगे।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निगम के महाप्रबंधक/प्रबंधक (बाबई) को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रबंधक (बाबई) के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो आर्बीट्रेटर के रूप में निर्णय देंगे। आर्बीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में जिला न्यायालय, भोपाल निर्धारित रहेगा।

प्रबंधक (बाबई)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि, पंचानन भवन,
तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र क.-4

ई- निविदा में ऑनलाईन दर प्रपत्र

क्रं	वस्तु का नाम	आयटम कोड	मात्रा	मात्रक	दर प्रति क्विंटल	
					अंकों में	शब्दों में
1	धान(किस्म PV 1718)	आयटम 1	1028.36	क्विंटल		
2	गेहूं (किस्म GW 322)	आयटम 2	1366.20	क्विंटल		
3	मक्का(किस्म CP 999)	आयटम 2	58.00	क्विंटल		

नोट – इस प्रपत्र के अनुसार दरें केवल ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाना चाहिए।

ऑनलाइन प्रपत्र में प्रति क्विंटल के मान से दरें भरा जाना चाहिए।